मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

कमांक डी– 17–9/2010 /14–3 **भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2010**

प्रति,

1– कलेक्टर,
जिला ––– .

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला ––

3– संयुक्त संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
संभाग –––

4– उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला –––

विषय :– विभाग के अधीन **कियान्वित योजनाओं के** अन्तर्गत किसानों को देय अनुदान की राशि सीधे उनके **बैंक** खाते में **जमा करने बाबत।**

संदर्भ :– इस विभाग के निम्न ज्ञाप कमांक :–

1. डी–17–14/2006/14–3, दिनांक 29–11–2006
2. डी–3–30/2000/14–2, दिनांक 22–5–2007
3. डी–7–13/06/14–3, दिनांक 25–5–2007
4. डी–17–6/9/14–3, दिनांक 16–10–2009
5. डी–7/19/2008, दिनांक 13–1–2010, 18–1–2010 आदि।

– – –

राज्य शासन एतव व्दारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन कियान्वित योजनाओ में किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि की निर्देशित पूर्व प्रकिया को आंशिक अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग की सभी हितग्राहीमूलक एवं समूह मूलक योजनाओं में कृषकों को देय अनुदान राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में जमा करते हुए किया जाए।

2. भुगतान हेतु जारी किये जाने वाले धनादेश में संबंधित के नाम के साथ साथ बैंक का नाम एवं खाता कमांक भी **दर्शाया जाएगा एवं धनादेश** एकाउंट पेयी होगा।

3. किसानों को अनुदान की राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा किये जाने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा विभाग स्तर पर प्रतिमाह की जाए।

4. कृषकों के द्वारा स्वेच्छा से यदि कृषि आदान सामग्री/ यंत्र/ उपकरण संस्थाओं से अनुदान की राशि कम करके प्राप्त किये जाते हैं तो अनुदान राशि संबंधित संस्था को भुगतान की जाय ।

5. कृषक द्वारा बैंक ऋण पर आदान सामग्री प्राप्त की गई है तो ऋण खाते में अनुदान राशि जमा करने को प्राथमिकता दी जाए।

योजना क्रियान्वयन के शेष निर्देश यथावत रहेंगे तथा उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.कमांक डी– 17– 9/10 /14–3
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2010

प्रतिलिपि :–

1. अपर सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
4. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल। कृपया इन निर्देशों को लागू करने के लिये विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन में अपनाई जा रही प्रकिया में आवश्यक संशोधन तत्काल किया जाये। संचालनालय स्तर से संबधित निर्देश 3 कार्य दिवस में जारी करे।
7. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र., भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग